

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

निर्णय दिनांक :- 21.01.2026

पीठासीन अधिकारी का नाम :- डॉ. नरेश सोनी (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर :- 56/2025

उनवान :- महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार  
-: आदेश :-

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी हल्का सारी की रिपोर्ट व तहसीलदार चिड़ावा की अनुशंषा के आधार पर तथा राजस्थान भू-राजस्व 2 अधिनियम 1956 की धारा-136 के अनुसरण में राजस्व ग्राम मालुपुरा तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 व खाता संख्या 102 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मालुपुरा	102	महावीर सिंह पुत्र सुरजाराम	महावीरप्रसाद जांगिड पुत्र सुरजाराम जांगिड

डॉ. नरेश सोनी  
उप (आर.ए.एस.) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा (विज.)

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार चिड़ावा उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

डॉ. नरेश सोनी  
उप (आर.ए.एस.) अधिकारी  
चिड़ावा जिला झुंझुनूं  
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा